राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur

PBX,2707938, Fax: 2710647,2709980,2704578

कार्यालय आदेश

वर्तमान में पर विभिन्न उद्योगों से सम्मति हेतु प्राप्त किये जा रहे सम्मति शुल्क के डिमांड ड्रॉफ्ट मुख्यालय पर बैंक ऑफ बदौडा, आई.डी.एस. शाखा, झालाना डूंगरी जयपुर स्थित बचत खाता एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त होने वाले डिमांड ड्राफ्ट क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर स्थित बैंक ऑफ बदौडा की शाखाओं में जमा कराये जा रहे है।

मण्डल द्वारा सम्मति संबंधी समस्त कार्य Online प्रारम्भ किया गया है तथा सम्मति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मय सम्मति शुल्क E-mitra पर जमा कराये जा रहे हैं। ई–मित्र द्वारा भी वर्तमान प्रकियानुसार ही सम्मति शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट को उनकी भुगतान शर्तानुसार क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर स्थित बैंक ऑफ बदौडा में संधारित विभिन्न खातों में जमा कराया जा रहा है।

उक्त Online प्रकिया को सुचारू रूप से लागू करने हेतु दिनांक **02.02.2015** से E-mitra के द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सम्मति शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट को निम्नानुसार जमा कराया जावेगा :–

(1) E-mitra द्वारा सम्मति शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट 'सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अथवा Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board के पक्ष में जारी होने पर ही जमा किया जावेगा।

(2) उपरोक्त सभी डिमांड ड्राफ्ट 'Payable at Jaipur' होने चाहिये । डिमांड ड्राफ्ट अन्य स्थान पर Payable होने पर E-mitra द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(3) E-mitra के द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सम्मति शुल्क के सभी डिमांड ड्राफ्ट मुख्यालय पर स्थित बैंक ऑफ बदौडा, आई.डी.एस. शाखा, झालाना डूंगरी, जयपुर में संधारित बचत खाता संख्या **98150100000521** में जमा कराया जावेगा।

(4) मुख्यालय एवं क्षैत्रीय कार्यालयों में वर्तमान प्रक्रियानुसार प्राप्त होने वाले सम्मति आवेदन पत्र वर्तमान प्रक्रियानुसार ही स्वीकार एवं जमा किये जावेंगे।

(5) E-mitra द्वारा मुख्यालय के उक्त बचत खाता संख्या **98150100000521** में जमा कराये गये डिमांड ड्राफ्ट का Reconciliation एवं Verification मुख्यालय की लेखा शाखा द्वारा किया जावेगा।

सदस्य सचिव

क्रमांकः– एफ. 7( ) लेखा/फण्ड ट्रांस./2014–15/1484-1503

दिनांक 27/01/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर
2. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर
4. क्षैत्रीय अधिकारी, क्षैत्रीय कार्यालय, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (समस्त)
5. राजकॉम/ई–मित्र को उपरोक्तानुसार Software में आवश्यक सुधार हेतु.
6. प्रभारी (आई.टी.)/ए.सी.पी., रा. प्र. नि. मंडल जयपुर को बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड

सदस्य सचिव